न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री बाबू लाल, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 87 / 2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2023 / 341

उनवान

शोकीन दत्तक पुत्र कालू जाट निवासी रहड़ हाल निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– छगना पिता हाथीराम जाट निवासी रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– भंवरलाल पिता हाथीराम जाट निवासी रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– कैलाश पुत्र धन्ना रेगर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मोहन पुत्र धन्ना रेगर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– सुवा पुत्र धन्ना रेगर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– हरराम पुत्र उगमा रेगर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– रामप्रसाद पुत्र उगमा रेगर निवासी रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री लालाराम गुर्जर : अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेश वर्मा : अभिभाषक विपक्षी सं0 02
3. विपक्षीगण सं0 2 लगायत 7 एकपक्षीय

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा.दी.

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.05.2025

1. वकील मय प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम रहड़ प0ह0 रहड़ भू0अ0निरीक्षक बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.10 है0 एवं आराजी नम्बर 1770 रकबा 0.83 है0 कुल किता 02 रकबा 0.93 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटने समय मौके पर विवाद करते है। प्रार्थी अपनी आराजियात की मेड़ो से घास काटते समय विपक्षीगण विवाद करते है। व सीमा संबंधी विवाद विपक्षीगण द्वारा किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्कता हुई। प्रार्थी की ओर से पूर्व में भी पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके प्रकरण सं0 191 / 2015 होकर निर्णय दिनांक 01.06.2015 को किया गया। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को मौके पर जाकर के पत्थरगढी किये जाने का प्रयास किया तो उक्त पड़ौसान ने मौके पर विवाद किया और न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार पत्थरगढी नहीं करने दी और उक्त दिनांक को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें हल्का पटवारी ने "मौके पर विवाद होने की स्थिति होने से पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है" का इन्द्राज किया गया। और मौके पर विवाद होने की सम्भावना होने के कारण पुलिस इम्दाद भिजवाये जाना न्यायहित में आवश्यक है। पर्चा मौका की नकल साथ में पेश है। प्रार्थी अपनी आराजियात

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

की हकाई बाबात स्वयं तारीख 23.03.2023 को अपनी आराजियात पर गया तब विपक्षीगण द्वारा विवाद किये जाने के कारण प्रार्थी को वाद हेतु तारीख 23.03.2023 से पैदा होकर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की आराजियात की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना या बनाये जाने का आदेश बक्षावें। साथी ही मौके पर विवाद होने की सम्भावना होने से पुलिस इम्दाद भिजवाने जाने का भी आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 12.06.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी सं0 दिनांक 12.06.2023 को उपस्थित स्वयं उपस्थित हो पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने बाबत मौखिक निवेदन किया। एवं विपक्षीगण सं0 02 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा द्वारा अण्डर टेंकिग ली गयी। दिनांक 19.06.2023 को विपक्षीगण सं0 02 की ओर से अभिभाषक श्री त्रिलोकचंद नौलखा, राजेश वर्मा, तेजप्रकाश पाठक, प्रीति जैन द्वारा अधिकारी पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण जवाब विपक्षी सं0 02 के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। अभिभाषक विपक्षी सं0 02 द्वारा दिनांक 04.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को दी गयी। प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का जवाब अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 11.10.2023 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अभिभाषक विपक्षी सं0 02 को उपलब्ध करवाई गयी। प्रकरण प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के बहस के नियत किया गया। दिनांक 01.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रकरण प्रार्थना पत्र पर आदेश के नियत किया गया। दिनांक 12.08.2024 को प्रकरण पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के बहस के नियत किया गया। जिस पर दिनांक 12.05.2025 को पुनः बहस सुनी गयी। एवं प्रकरण प्रार्थना पत्र पर निर्णय के नियत किया गया।

3. बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी अपनी ग्राम रहड़ में स्थित आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है किन्तु वक्त पत्थरगढी मौके पर दंगा फसाद होने की आशंका है। अतः पत्थरगढी पुलिस इम्दाद में की जावे। पूर्व में भी पत्थरगढी किये जाने पर मौके पर विवाद की स्थिति होने से पत्थरगढी नहीं की जा सकी। मौका पर्चा की फोटोप्रति संलग्न है। अभिभाषक विपक्षी सं0 02 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी शोकिन जाट द्वारा ग्राम रहड़ की आराजी सं0 1778, 1770 की पत्थरगढी हेतु वर्ष 2015 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 01.06.2015 को पारित किया गया। एवं उक्त निर्णय की पालना में हल्का गिरदावर एवं पटवारी द्वारा दिनांक 28.05.2016 को नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर मौका पर्चा बनाया गया। उक्त पत्थरगढी के वक्त प्रार्थी एवं विपक्षीगण एवं अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में पारित आदेश की पालना में पत्थरगढी की जा चुकी है ऐसी स्थिति में पुनः इसी आराजियात के संदर्भ में दुबारा पत्थरगढी प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है तथा पूर्व में सम्पादित की गई विधिक कार्यवाही के तथ्यों को छिपाते हुए नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

जा.दी. को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे को खारिज किया जावे। विरोध करते हुए काउण्टर में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2015 को आदेश पारित किया गया था किन्तु दिनांक 28.05.2016 को हल्का गिरदावर द्वारा पत्थरगढी नहीं की गयी। आराजियात की पत्थरगढी हेतु दिनांक 08.07.2022 को हल्का गिरदवार एवं पटवारी पहुंचे तो विपक्षीगण सं0 02 ने पत्थरगढी करने से मना कर दिया और आपत्ति दर्ज करवाई। मौके पर गिरदावर द्वारा मौके पर्चा तैयार किया गया जिसमें मौके पर विवाद होने की सम्भावना होने से पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं होना अंकित किया गया है। अतः मौके पर वक्त पत्थरगढी विवाद होने की संभावना होने से पुलिस इम्मदाद में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावे। एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

4. बहस पर मनन प्रकरण का अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को देखा गया। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात ग्राम रहड की आराजी सं0 1768 एवं 1770 के संबंध में पूर्व वर्ष 2015 में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश इस न्यायालय द्वारा जारी किये जा चुके है। प्रार्थी स्वंय द्वारा यह तथ्य अपने आदेश एवं अपनी बहस में स्वीकार किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त पत्थरगढी मौके पर विवाद होने की संभावना होने से पत्थरगढी पुलिस इम्दाद में कराये जाने हेतु निवेदन किया है। किन्तु इस हेतु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। एवं तहसीलदार द्वारा मौके पर पुलिस की इम्दाद होने पर पुलिस इम्दाद हेतु लिखा जा सकता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के संबंध में पूर्व में ही निर्णय किया जाकर पत्थरगढी के आदेश पारित किये जा चुके है। अतः पूर्व में ही पारित आदेश पर पुनः आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में Res Judicata भी लागू होता है।

5. अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में Res Judicata भी लागू होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 खारिज किया जाना उचित समझता हूं। पुलिस इम्दाद हेतु कार्यवाही के लिए प्रार्थी स्वतंत्र है।

—:: आदेश ::—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में Res Judicata लागू होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 खारिज किया जाता है

(बालू लाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा